

6/9/23

वकील उमय पत्र उपस्थित/ पत्रावली का अमलासन
किया गया। हुल्ल. अधिना पत्र पीठासीन अधिकारी
श्री देवेन्द्र परमार उपखण्डाधिकारी भरतपुर
के विरुद्ध पेश किया गया था। श्री परमार
का स्थानान्तरण उपखण्डाधिकारी भरतपुर
के पद से अन्याय हो जाने के कारण
प्रकरण उभावहीन हो जाता है।

अतः प्रकरण उभावहीन होने के
कारण इसी स्तर पर रेकारिज किया
जाता है। पत्रावली फैलल सुमार हो
बाद कार्यवाही दायित्व दफतर हो।

✓
जिला कलक्टर
भरतपुर